राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर

क्रमांक: प. 5 (3) न.वि.वि./3/99

0000

रिलांक : 10.07.99

आदेश

विषय: नगरीय क्षेत्रों में कृपि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के नियमन के सम्बन्ध में।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृपि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.6.99 को एक अध्यादेश जारी कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। अध्यादेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संतग्न है। अवसे पूर्व जारी 1981 के भूमि रूपान्तरण नियम, राज्यादेश 18.1.90, 4.3.92, 18.2.94 एवं 23.4.97 के प्रावधान इस अध्यादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावहीन हो गये हैं।

उपरोक्त अधिनियमों में किए गए संशोधनों के फलस्वरूप नगरीय क्षेत्रों में कृपि भूमि के आवासीय वाणिज्यिक उपयोग के नियमितिकरण हेतु निम्न आदेश जारी किए जाते हैं।

1. विशिष्ट ब्र्करणों में खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाकर भूमि पुर्नगृहीत किये जाने बाबत :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में उक्त अध्यादेश द्वारा धारा 90 (ए) के पश्चात् धारा 90 (बी) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 की उपधारा (1) के सब क्लाज (ii) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधनों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा नगरीयकरण योग्य सीमा के तहत् पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग का अकृषि कार्य हेतु उपयोग कर लिया गया है या ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कोई मूल्य प्राप्त कर जिरये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र या जिरये इकरारनामा या पावर ऑफ एटोंनी के द्वारा या वसीयत के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य हेतु हस्तान्तरण कर दिया है तो ऐसी भूमियों से खातेदार/व्यक्ति के सभी अधिकार एवं हित समाप्त किये जा सकेंगे और भूमि राज्य सरकार के हक में पुर्नगृहीत की जा सकेगी।

उक्त प्रावधान के उहत् ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में सभी प्रकार के अधिकार एवं हित पुर्नगृहीट किये जा सकते हैं, के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे खातेदारों को नोटिस जारी करेंगे जिसमें भूमि की विगत, परताबित कार्यवाही करने का कारण सुनवाई का स्थान, तारीस एवं समय नादि आकत होगान स्मतेदार को इस आशय का नोटिस दिया जावेगा

कि क्यों नहीं उसके हित एवं अधिकार को राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम की धारा 90 (बी) के तहत् समाप्त कर भूमि पुर्नगृहीत कर ली जावे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का परीक्षण कर सुनवाई की प्रथम तिथि से 60 दिवस के अन्दर कार्यवाही समाप्त कर दी जावेगी। पूर्ण सुनवाई के उपरान्त जिला कलेक्टर या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपने लिखित आदेश में कारण स्पष्ट अंकित करते हुये भूमि पुनंगृहीत करने के आदेश प्रसारित करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी* एवं राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत् प्राधिकृत किया गया हो।

उपरोक्तानुसार पुर्नगृहीत की गई भूमि सभी प्रकार के प्रभारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 54 (बी) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80 के तहत् नबीन संशोधनों के अनुसार क्रमश: जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम/नगर पालिका में निहित हो जावेगी और ऐसी भूमि का नियमन इस आदेश के तहत् जारी किया जा रहे संशोधनों के अनुरूप सम्बन्धित स्थानीय निकाय के द्वारा किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रावधान ऐसी किसी भी भूमि जो मन्दिर माफी, देवस्थान विभाग या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक एवं चेरिटेबिल संस्थान या वक्फ की है, पर प्रभावी नहीं होंगे। इसी तरह उक्त प्रावधान ऐसी किसी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे जिनके सम्बन्ध में निम्न अधिनियमों के तहत् कार्यवाही लिम्बत है:-

- 1. राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामी की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्या 11)**
- 2. नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 33)
- * राजस्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 6 (18) राज. 6/99 दिनांक 19.7.99, 22.7.99, 1.12.99 एवं 15.2.2001 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में कायरत तहसीलदारों तथा समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में पदस्थापित सहायक कलेक्टर तथा तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की गयी। न्यासों में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं नायब तहसीलदारों को शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं। टी.डी.आर. को 1.11.2000 को नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित तथा 23.9.99 के द्वारा जे.डी.ए. में कार्यरत को शक्तियां दें।
- ** आदेश कमांक 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 9.3.2000 के द्वारा राजस्थान भू-स्वापियों की सांगदा अर्जा अधिनियम, 1963 राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के द्वारा राजकीय भूमि की दर पर नियमन करने एवं नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के निलोपित हो जाने के कारण नगरीय विकास निभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 10.7.99 को संशोधित किया गया।

 राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सामा अधिरोषण अधिनयम १७७३ (1973 का अधिनयम संख्या 11)

परन्तु यदि ऐसी भूमि जो उपरोक्त जॉर्जनियमों के अधीन विचाराभीन है तथा जिन पर आवासीय कॉलोनियों का विकास हो चुका है और भूस्वामी/खातेदार स्वतः अपनी जमीन का विना किसी शर्त के एवं बिना किसी प्रकार के मुआवजे के राज्य सरकार को समर्पित करता है तो उस स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी परीक्षण के उपरान्त राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत् आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण ऐसी भूमि का निष्पादन नियमानुसार कर सकेगी।

जिला कलेक्टर/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा उपरोक्त प्रक्रियाओं के तहत् पारित आदेश के क्रम में पुर्नगृहीत की गई भूगि स्वत: सम्वन्धित स्थानीय निकाय*/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहीत हो जावेगी।

पुर्नगृहण की प्रक्रिया सम्पादित किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बाबत् स्वीकृति दो जायेगी जहां भूमि के स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में नामान्तरण खुलने के पश्चात् भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित निकाय द्वारा कब्जेधारी के पक्ष में किया जा सकेगा। ऐसे भूखण्डधारियों को सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।

्2. नियमन का आधार :-

राज्य सरकार के द्वारा जारी अध्यादेश एवं इन आदेशों के तहत् निथमन का मुख्य आधार गृह निर्माण सहकारी समिति का पट्टा या विक्रय पत्र/इकरारनामें पर आधारित कब्जा होगा। कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित कब्जेदारों को निम्न में से कोई प्रमाण प्रस्तुत करना होगा :-

- कब्जाशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी सिमिति के द्वारा दिया
 गया पट्टा तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज।
- ऐसे भूखण्ड धारक जिनके पास अध्यादेश की दिनांक से पूर्व का कोई दस्तावेज हो।
- 3. ऐसे प्रकरणों में जहां एक ही भूखण्ड के एक से अधिक दावेदार हों तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम 1965 की धारा 75 के तहत् निर्णित करवाया जावेना।

^{ूँ ा} राजस्य (ग्रुप-6) विभाग के परिएत्र कमांक 6 (9) राज. 6/2001 दिनांक 23.2.2001 के द्वारा पुर्नगृहीत भूमि कों स्थानीय निकाय के नाम अंकित करने के निर्देश दिए गए।

3. अधिगृहित अध्यर्पित भूमि के सम्बन्ध में नियमन किये जाने की प्रक्रिया :

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (वी) के तहत् कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह आवश्यक है, कि ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियां जिनके द्वारा खातेदारों से कृषि भूमि क्रय कर आवासीय कॉलोनियाँ बसा ली गयी हो और अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन कर दिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में समितियों से भूमि सम्बन्धी, सदस्यों संबंधी तथा आवासीय योजना के मानचित्र सम्बन्धी सूचना एवं क्रय दस्तावेज सम्बन्धी सूचना निर्धारित प्रार्थना पत्र पर प्राप्त की जाये। इस हेतु इस आदेश के तहत् सम्बन्धित निकायों द्वारा सहकारी समितियों एवं भूखण्ड धारकों से निर्धारित प्रपत्रों में (जिसका प्ररूप परिशिष्ठ 2, 3 एवं 4 पर संतर्गन है) सूचना प्रस्तुत करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी। सहकारी समितियों द्वारा उक्त सूचना की समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई निर्धारित अविध के अन्दर स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। सूचना प्राप्त होने पर सृजित की गई आवासीय योजनाओं में आने वात्ती भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित खातेदारों जिनके द्वारा भूमि विक्रय को गई है या ऐसे प्रकरण जिसमें स्वामित्व गृह निर्माण सहकारी समिति को हस्तान्तरित हो चुका है में गृह निर्माण सहकारी समिति को विन्दु संख्या 1 में विर्णित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुये भूमि समर्पण हेतु स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होगा।

) ()

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी गृह निर्माण सहकारी सिमित के द्वार सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह कभी नियमन की प्रक्रिया में किसी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत आवंटियों अथवा पंजीकृत विकास सिमित के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर योजना का मानचित्र एवं भूखण्डधारियों को सूचियां तैयार कर स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

विभिन्न गृह निर्माण सहकारी सिमितियां/निजी व्यक्तियों के द्वारा सूचना प्रस्तुत करने पर स्थानीय निकाय या उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये योजना मानचित्रों का परीक्षण मौके पर किया जायेगा और मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये योजना मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी।

मानचित्र का परीक्षण किये जाने एवं भूमि अधिगृहित किये जाने के उपरान्त नियमन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से योजनाओं की सूची प्रकाशित की जावेगी।

नियमन के लिये प्रकाशित की एया योजनाओं के सम्तर्भ में गरि किसी भूखण्डधारी के द्वारा नियत अविध में नियमन हेतु प्रार्थना पत्र मयदेय राशि के चालान के साथ पेश नहीं किया जाता है तो अविध समाप्ति के पश्चात् यह मानते हुये कि उक्त भूखण्ड किसी की आवंटित नहीं किया गया है एवं भूखण्ड की रिक्त माना जांकर राम्बन्धित स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी भूमि निष्पादन नियमों के अनुरूप विद्वय किया जा सकेगा। प्रार्थना पट्ट एवं, देव गांश के जालान के साथ आयेदक को गृह निर्माण सहकारी सामित के आवंदन पत्र तथा होटट च्लान की प्रमाणित फौटो प्रति संलग्न करनी होगी। आयेदक को स्थानीय निकाय नयपुर विकास पाधिनरण द्वारा आवंदन पत्र जारी करने से पूर्व सभी मूल दरनावंज जमा कराने होंगे।

000000

जिन भूमियों का जो किसी भी अर्जन अधिनियम के तहत् जी पत की जाकर अंतिम रूप से स्थानीय निकाय में निहित हो चुकी है या अन्य राजकीय भूमि जिन पर मोंके पर गृह निर्माण सहकारी सिमिति का आवंटन पत्र/किसी गृह निर्माण सहकारी सिमिति के सदस्य से पंजीकृत/अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा या अन्य व्यक्ति से खरीद कर या किसी भी अन्य प्रकार के अतिक्रमण कर लिया है का नियमन किया जा सकेगा।

उक्त नियमन नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) हियम 1974/राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुर्नगठन एवं विकास) नियम 1975 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 1996 में दिये गये प्रावधानों एवं मापदण्डों में राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई शिथिलता के तहत् किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उपविभाजन पुर्नगठन एवं विकास) नियम 1975 के नियम 11, 12, 12 (1), 12 (2), 12 (3), 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 32 (6)* में तथा जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 1996 के नियम 9.2 व 9.3.1 में शिथिलत प्रदान कर दी गयी है। अतः यदि मौके पर उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत निर्माण किया है तो वह प्रदान की गयी शिथिलता के तहत् नियमित किया जा सकेगा।

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गृह निर्माण सहकारी सिमित के आवंटी सदस्य से या अन्य किसी व्यक्ति से इकरारनामें के आधार पर भूखण्ड क्रय किया है तो ऐसे प्रत्येक हस्तान्तरण के लिये 10/- रुपये** प्रति वर्ग गज की दर से नियमन शुल्क के अतिरिक्त राशि वसूल की जाकर हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान करते हुए नियमन किया जा सकेगा। इसके पेटे यदि पूर्व में कोई राशि जमा तो उसका समायोजन किया जायेगा।

राजस्थान शहरी क्षेत्र (भूखण्डों के उप विभाजन, पुर्नगृहण एवं विकास) ानयम, 1975 के उक्त नियमों के उद्धरण की प्रति संलग्न है।

^{**} परिपत्र क्रमांक 5 (8) न.वि.वि./3/99 दिनांक 26.5.2000 के द्वारा नृत आवंटी सदस्य द्वारा ज़रिये इकरारनामा हस्तान्तरण एक से अधिक बार किया जा चुका है तो भी एक बार हो हस्तान्तरण शुल्क 10/- रु. प्रति न.ग. विषया जा चुका है तो भी एक बार हो हस्तान्तरण शुल्क 10/- रु. प्रति न.ग.

आवंटन/नियमित किये गये भुखण्डों पर लीज-डीड हेत् पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की देयता :

सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उपरोक्त पर्णित प्रक्रिया के द्वारा आवंटित किये गये भूखण्डों के सम्बन्ध में लीज-डीड भी निप्पादित की जावेगी और उक्त लीज-डीड के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क आवंटन/नियमन मूल्य पर ही देय होगा न कि बाजार दर पर। यह पंजीयन/मुद्रांक शुल्क पृथक से लीज-डीड निष्णदित करते समय स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाम्प के रूप में लिया जावेगा।

मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन :-

यदि किसी आवासीय कॉलोनी के नियमन के लिए उस क्षेत्र के मास्टर प्लान में भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के तहत् भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आपित प्रस्तुत करने एवं उनका निस्तारण करने की अविध में शिथिलता दी जाती है। अब भू-उपयोग रूपान्तरण हेतु 7 दिवस की विज्ञप्ति जारी की जा सकेगी व निर्धारित अविध में आपित प्रस्तुत होने पर 7 दिवस में उस पर निर्णय लिया जाकर उपान्तरण आदेश का राजपत्र में प्रकाशन कराया जा सकेगा एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से नियमन किया जा सकेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के राज्य सरकार के अनुमोदन की शिक्तयों का ज.वि.प्रा. अधिनियम, 1982 की धारा 93 (1) के तहत ज.वि.प्रा. की कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित किया जाता है। अब धारा 25 (2) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग कृषि भूमि पर बने अवैध निर्माण के क्षेत्र मे मास्टर प्लान में भू-उपयोग के परिवर्तन के संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

सही/-श्रीराम मीणा शासन उप सचिव ()

प्रपत्र-2

(10/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पव्लिक से तस्दीकः)

शपथ पत्र		
भें		
श्री जाति निवासी		
अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायकगृह निर्माण सहकारी समिति		
का हूँ, सत्य व निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ कि :-		
1. मैं रापथपूर्वक घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित गृह निर्माण सहकारी सिमिति की, जिसका		
मैं अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक हूँ के लिए खरीद की गई भूमि को		
स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने		
के विरुद्ध किसी भी स्तर के न्यायालय से किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी या वर्तमान		
में प्रभावशील नहीं है।		
2. मैं शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि उक्त सिमिति ही जिम्मेदार होगी और इस बाबत् स्थानीय		
निकाय/ज.वि.प्रा. का किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।		
3. मैं शपथपूर्वक धोषित करता हूँ कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से अनुमोदन		
हेतु ज.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया गया संलग्न अनन्तिम मानचित्र, नाप आदि के बाबत् पूर्ण रूप		
से सही है और अनुमोदन के पश्चात् दिमारकेशन प्लान के नियमानुसार वान्छित संशोधित		
मानचित्र ज.वि.प्रा. द्वारा मांगने वर तत्काल प्रस्तुत कर दिया जावेगा।		
(शपथ ग्रहीता)		
मैं उक्त शपथक़र्त्ता ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त		

वर्णित सम्पूर्ण विवरण मेरी जानकारी व रिकार्ड के आधार पर सह! व सच है तथा कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है और ना तथ्य व रिकार्ड के विपरीत कोई बात कही गई है। अत: ईश्वर सच बोलने में मेरी सहायता करे।

(शपथ ग्रहीता)

^		
10	नाक	
14	1171	

स्थान

* *		
नाम	:	
पिता का नाम	80 p.00 1679 :	
अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक	1000 marks	गृ.नि.स.स

प्रपत्र-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.()

0

0

0

0

0

0

0

0

(15/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

चूंकि स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एह निर्माण सहकारी सिमिति, जयपुर की स्कीम की भूमि के नियमन आदि की कार्यवाही की जा रहीं है और मैं उक्त उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी सिमिति का अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक हूँ और इस कारण उपरोक्त हैसियत से मैं उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी सिमिति की ओर से अपने आपको वचनबद्ध करता हूँ कि स्थानीय निकाय/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन की जाने वाली कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी सिमिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर स्थानीय निकाय अथवा ज.वि.प्रा. को किसी प्रकार की आर्थक हानि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति स्थानीय निकाय/ज.वि.प्रा. को उक्त गृह निर्माण सहकारी सिमिति के द्वारा की जावेगी अथवा उक्त राशि उक्त सिमिति से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति बंधक पत्र मैंने उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/ अवसायक की हैसियत से निष्पादित व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित कर दिया है सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए।

दिनांक: नाम:

स्थान : पिता का नाम :

साक्षी आयु: जाति:

मय सम्पूर्ण नाम पता व्यवसाय:

साक्षी निवासी :

मय सम्पूर्ण नाम पता अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायकः गृ.वि.स.स., जयपुर

(318) (4: